फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नरेश कुमार बनाम मंगलाराम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 15 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
27.01.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 416/405 की कुल 25.1530हैक में से 1/6 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से सायल के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक .11.03.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर नोहर	
11/3/22	~~वकील सायल उपस्थित गैरसायल की तामील हेतु रजिस्टर्ड सम्मन फिर नहीं किये आवश्यक पैरवी की रजिस्टर्ड सम्मन पुनः जारी हो पत्रावली दिनांक 16/7/22 को पेश हो।~~	
27/4/22	~~वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वकील सायल व सायल ने निवेदन किया कि हम पक्षकार का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये नहीं चलाना चाहते खारिज फरमावे। सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~	नं 22 पहचानकर्ता वीरेन्द्र गोदारा एडवोकेट